संख्या-379/49-1-23-भू0-08/07

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष-2023-24 के लिये रू0 1000.00 करोड की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-857-58/अधि0-3(84) दिनॉक 13.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2023-24 के लिये रू0 1000.00 करोड़ की शासकीय गारण्टी स्वीकृत किये जाने का निर्णय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लिया गया है:-

(I) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 को पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से दिनांक 30 जून, 2024 तक) में रू0 500.00 करोड़ की सीमा तक ऋण/पुनर्वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार रहेगा।

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ के ऋण/पुनर्वित्त आहरण के मूलधन के प्रतिदानं तथा उनकी परिपक्वता तिथि तक ब्याज के भुगतान के लिये नाबार्ड के पक्ष में दी जाने वाली गारण्टी की अधिकतम सीमा वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से दिनांक 30 जून, 2024 तक) के लिये रू0 1000.00 करोड़ निर्धारित है।

(3) गारण्टी डीड का निष्पादन नाबार्ड के निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश शासन के खाते से स्वयमेव धनराशि डेबिट करने संबंधी मैन्डेट की शर्त हटाकर नाबार्ड के प्रारूप पर किया जाना है ।

(4) इस संस्था द्वारा नाबार्ड से प्राप्त ऋणों की अदायगी की जाती है। इस संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों में वित्त विभाग ने इस संस्था को ''ऐस्क्रों एकाउन्ट'' खोलने से छूट प्रदान की हैं। अतः संस्था को ''ऐस्क्रों एकाउन्ट'' खोलने से छूट प्रदान की जा रही है।

(5) गत वर्षों में बैंक को गारण्टी देते समय स्वीकृति दी गयी है कि रू0 4700.00 करोड़ से अधिक का दायित्व उत्पन्न होने की स्थिति में जितनी धनराशि रू0 4700.00 करोड़ से अधिक होगी, केवल उसी धनराशि पर 0.25 प्रतिशत गारण्टी शुल्क चार्ज किया जाए। अतः गारण्टी शुल्क के संबंध में उक्त निर्णय यथावत रखा जाय।

(6) बैंक द्वारा सरकार के पक्ष में काउण्टर गारण्टी निष्पादित की जाए।

3- अतः अनुरोध है कि गारण्टी डीड/काउण्टर गारण्टी डीड के विधीक्षण शुल्क सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत कोषागार में जमा कराते हुये ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ ही गारण्टी डीड एवं काउन्टर गारण्टी डीड का ड्राफ्ट शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।